मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक सन् 2021

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक, 2021

विषय–सूची

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. निजी भूमि पर वृक्षारोपण का संवर्धन, प्रबंधन एवं विदोहन.
4. टाल की स्थापना, काष्ठ का परिवहन तथा व्यापार.
5. उल्लंघन के लिए दण्ड.
6. अपील.
7. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना.
8. नियम बनाने की शक्ति.
9. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक सन् 2021

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक, 2021

मध्यप्रदेश राज्य में नगरपालिक क्षेत्र को छोड़कर निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) यह नगरपालिक क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

परिभाषाएं.

(क) 'कलक्टर' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में यथा परिभाषित कलक्टर, जिसमें अतिरिक्त कलक्टर सम्मिलित है;

(ख) 'उत्पादक' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निजी भूमि पर वृक्षों को उगाता हो;

(ग) 'विदोहन' में विरलन, शाख कर्तन, वृक्षों को काट कर गिराना, लट्ठा बनाना एवं ढेर लगाना सम्मिलित है;

(घ) 'निजी भूमि' से अभिप्रेत है, भूमि स्वामी अधिकारों से या सरकार से पट्टा, अनुज्ञप्ति या हस्तातंरण से धारित की गयी भूमि;

(ङ) 'इमारती लकड़ी' का अर्थ वही होगा जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उसके लिए समनुदेशित है;

E:\anuvad\desktop15-02-19\vidhyak and adhyadesh 2021\vraksharopand vidhyak 18-3-2021.docx

(च) 'टाल' से अभिप्रेत है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई परिसर, जहां इमारती लकड़ी का संग्रहण तथा व्यापार किया जाता है;

(छ) 'वृक्ष' का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है तथा इसमें बांस या वृक्ष के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य काष्ठीय प्रजातियां भी सम्मिलित हैं;

(ज) 'वृक्षारोपण' से अभिप्रेत है, बिखेर कर लगाए जाने वाली कृषि या बागवानी फसलों के साथ या बिना "वृक्ष" उगाना तथा इसमें उत्पादक के द्वारा लगाए गए वृक्ष तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष दोनों सम्मिलित हैं;

(झ) 'परवर्ती इमारती लकड़ी' से अभिप्रेत है, किसी भी रूप में चिरी हुई इमारती लकड़ी, जिसमें परत, तख्ता, सिल्ली, छाल–रहित काष्ठ टुकड़े, बुरादा सम्मिलित है;

(ञ) 'अनुविभागीय अधिकारी' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में यथा परिभाषित अनुविभागीय अधिकारी;

(ट) 'विनिर्दिष्ट वनोपज' का अर्थ वही होगा जैसा कि मध्यप्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

3. (1) निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए किसी भी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।

निजी भूमि पर वृक्षारोपण का संवर्धन, प्रबंधन एवं विदोहन.

(2) उत्पादक, निजी भूमियों पर किए गए वृक्षारोपणों की जानकारी, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, प्रदान करेगा।

(3) उत्पादक, वृक्षारोपणों के संवर्धन एवं प्रबंधन करने की ऐसी पद्धति अपना सकेगा, जैसी कि वह उचित समझे।

(4) मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादक निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विदोहन बिना किसी अनुज्ञा के कर सकेगा।

4. (1) (क) उत्पादक, उस ग्राम पंचायत के भीतर स्थित किसी भी स्थान पर, जिसमें वृक्षारोपण किया गया है, टाल स्थापित कर सकेगा और इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, सूचित करेगा।

टाल की स्थापना, इमारती लकड़ी का परिवहन तथा व्यापार.

(ख) वृक्षारोपण क्षेत्र से ऐसी टाल के लिए परिवहन करने हेतु अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उत्पादक किसी वृक्ष को, ऐसी रीति में जैसी कि वह समुचित समझे, कोई रूप दे सकेगा तथा टाल पर इमारती लकड़ी संग्रहीत कर सकेगा।

(3) उत्पादक, प्रयोज्य अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, टाल पर काष्ठ प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकेगा।

(4) उत्पादक, टाल से किसी भी रीति में, इमारती लकड़ी या परिवर्तित इमारती लकड़ी का विक्रय कर सकेगाः

परंतु विनिर्दिष्ट वनोपज की दशा में, काष्ठ का विक्रय, ऐसी रीति में, इलेक्ट्रानिक रूप से संचालित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए।

(5) (क) विनिर्दिष्ट वनोपज या ऐसी प्रजातियां, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, के सिवाय टाल से कोई भी इमारती लकड़ी या परवर्ती इमारती लकड़ी के परिवहन के लिए अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु यदि टाल, ऐसे ग्राम पंचायत में स्थित है, जहां आरक्षित वन या संरक्षित वन भूमि उसके भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आती हो या उसके साथ सीमा साझा करती हो, वहां सभी प्रजातियों के इमारती लकड़ी के परिवहन के लिये अभिवहन पास की आवश्यकता होगी।

(ख) राज्य सरकार उन जिलों को अधिसूचित कर सकेगी, जहां उपधारा (5) के खण्ड (क) में उल्लिखित परन्तुक लागू नहीं होता हैं।

(6) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अभिवहन पास इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसी रीति में, जैसी कि मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में विहित है, जारी किए जाएंगे।

5. (1) कोई भी व्यक्ति या उत्पादक, जो धारा 4 के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने का दायी होगा, जो पचास हजार रूपए से अधिक का नहीं होगा, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अधिरोपित किया जाएगा।

उल्लंघन के लिए दण्ड.

(2) अनुविभागीय अधिकारी, कोई प्रतिवेदन या शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा, उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति के विरूद्ध जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कार्रवाई करेगा।

6. अपील. (1) अनुविभागीय अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसा आदेश जारी होने के तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कलक्टर को लिखित में अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कलक्टर, हित रखने वाले पक्षों को सुनने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण.– धारा 5 तथा 6 के प्रयोजन के लिए अनुविभागीय अधिकारी या कलक्टर द्वारा की गई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

7. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या निजी भूमि पर वृक्षारोपण की कोई ऐसी विधि, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किए गए हैं, के आधार पर प्रभावी किसी रूढ़ि या प्रथा या लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

8. नियम बनाने की शक्ति. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

9. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, ऐसा आदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।